भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 141

सोमवार, 22 जुलाई, 2024 / 31 आषाढ़, 1946 (शक)

गर्मी से निपटने संबंधी कार्य योजना का केंद्रीयकृत डाटाबेस

141. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास वर्ष 2024 के लिए गर्मी से निपटने संबंधी कार्य योजना के संबंध में केन्द्रीयकृत डाटाबेस है;

(ख) भारत में अनौपचारिक श्रम क्षेत्र हेतु लक्षित हस्तक्षेप का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ईएसआईसी भारत में लू के कारण होने वाली बीमारी, चिकित्सा देखभाल, बेरोजगारी, कार्य के दौरान चोट अथवा मृत्यु को कवर करता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बहु-क्षेत्रीय और बहु-आयामी प्रशासनिक दृष्टिकोण के माध्यम से कामगारों पर अत्यधिक गर्म मौसम के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने हुए नियोक्ताओं/उद्योगों को आवश्यक निर्देश जारी करने के अनुरोध के साथ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाए गए निर्देश जारी किए।

i) विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों/कामगारों के लिए काम के घंटों का पुन: निर्धारण।

ii) ग्रीष्म ऋतु के दौरान भौतिक कार्य करने हेतु कार्य मात्रानुपाती दर (पीस रेट) और आवश्यकता/तात्कालिकता को विनियमित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना,

iii) कार्य स्थल पर पर्याप्त पेयजल सुविधाएं सुनिश्चित करना,

iv) कामगारों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय,

v) सन्निर्माण कामगारों के लिए आपातकालीन आइस पैक और गर्मी के कारण होने वाली बीमारी की रोकथाम हेतु सामग्री उपलब्ध कराना,

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से अत्यधिक गर्मी की स्थिति से सबसे अधिक प्रभावित बाहरी कामगारों और मजदूरों के लिए लू के कारण होने वाली बीमारी से निपटने के तरीकों पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरूकता सत्र भी आयोजित किए। श्रम और रोजगार मंत्रालय गर्मी से निपटने संबंधी कार्य योजना पर केंद्रीकृत डाटाबेस नहीं रखता है।

(ग): कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 में बीमारी, मातृत्व, निःशक्तता और रोजगार के दौरान चोट के कारण मृत्यु की घटनाओं के लिए सन्निहित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और इसमे बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल किया जाता है। यह 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जो 21,000/- रुपये (निःशक्तता व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक वेतन प्राप्त करते हैं। बीमाकृत व्यक्ति लू के कारण होने वाली बीमारी के कारण ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 46 (1) (क) के तहत बीमारी लाभ के लिए पात्र हैं, यदि इसके लिए काम से परहेज की आवश्यकता होती है, तो इस उद्देश्य के लिए नियुक्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है, यदि वे बीमारी लाभ के लिए पात्रता और अंशदायी शर्तों को पूरा करते हैं।

*****